कॉर्पोरेट लॉबिंग और भारतीय राजनीति: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

पूरन मल मीना
(एम.ए., एम.फिल., पीएच.)
सहायक प्राध्यापक- राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर (राजस्थान) पिन कोड - 301408 मो. नं. 9461669111
ईमेल: pmmeena111@gmail.com

सारांश- भारतीय लोकतंत्र में कॉर्पोरेट लॉबिंग एक जटिल और विवादास्पद वास्तविकता है। यह औपचारिक रूप से अवैध नहीं है, लेकिन किसी स्पष्ट कानूनी ढांचे के अभाव में यह अनियंत्रित, गोपनीय और अक्सर अनैतिक तरीके से संचालित होती है। यह शोध पत्र कॉर्पोरेट लॉबिंग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके तंत्र, प्रमुख केस स्टडीज (जैसे 2G घोटाला, कोलगेट और पावर सेक्टर लॉबिंग), नीति-निर्माण पर इसके प्रभाव, लोकतंत्र पर पड़े नकारात्मक प्रभाव और सुधार के उपायों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पत्र यह तर्क देता है कि अनियमित लॉबिंग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कमजोर करती है, सार्वजनिक विश्वास को क्षति पहुंचाती है और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' को बढ़ावा देती है। **इलेक्टोरल बॉन्ड्स** योजना (2018 से) के माध्यम से कॉर्पोरेट्स द्वारा अज्ञात दान (दिसंबर 2021 तक कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक, जिसमें BJP को प्रमुख हिस्सा) और नीति-लाभों के बीच **आदान-प्रदान** का संबंध उजागर होता है।

तुलनात्मक अध्ययन में अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नियामक मॉडल का जिक्र करते हुए, भारत के लिए '**Indian Lobbying Regulation Act**' का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें लॉबिस्ट रजिस्ट्रेशन, तिमाही डिस्क्लोजर, स्वतंत्र निगरानी और दंड प्रावधान शामिल हों। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों (सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ADR डेटा, CAG रिपोर्ट, समाचार विश्लेषण) पर आधारित है। शोध का उद्देश्य नीति-निर्माताओं, विद्वानों और नागरिक समाज को जागरूक करना है।

बीज शब्द- कॉर्पोरेट लॉबिंग, भारतीय राजनीति, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, नीति-निर्माण, क्रोनी कैपिटलिज्म, पारदर्शिता, लोकतंत्र, नियामक ढांचा, 2G घोटाला, पावर सेक्टर लॉबिंग।

मूल लेख - स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, जब देश ने 'लाइसेंस-परमिट राज' की जटिल व्यवस्था अपनाई, तब बड़े उद्योगपति और राजनीतिक नेतृत्व के बीच घनिष्ठ संबंध एक खुला रहस्य था। नेहरू युग की मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य नियंत्रण को विकास का माध्यम माना गया, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह प्रणाली उन उद्योगपतियों के लिए वरदान साबित हुई जो सरकारी अनुमतियों, कोटों और लाइसेंसों तक आसानी से पहुंच रखते थे। बिड़ला, टाटा, दालमिया जैसे घरानों ने इस व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की। राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों के साथ व्यक्तिगत संबंधों के जरिए वे नीतिगत फैसलों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहे। इस काल में लॉबिंग औपचारिक नहीं थी, बल्कि अनौपचारिक 'संबंधों की राजनीति' के रूप में अस्तित्व में थी, जहां एक फोन कॉल या दिल्ली के दफ्तरों में हुई मुलाकात से उद्योग की किस्मत बदल सकती थी।

इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रिश्वतखोरी आम हो गई, और छोटे उद्यमियों के लिए बाजार लगभग बंद हो गया। बड़े घराने संरक्षणवाद का फायदा उठाते हुए एकाधिकार स्थापित कर रहे थे, जबकि आम जनता महंगी और घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर निर्भर थी। 1960-70 के दशक में इंदिरा गांधी के समय 'सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी' के नारे के बावजूद, वास्तविकता यह थी कि कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घराने राज्य की शक्ति का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रहे थे। यह 'क्रोनी कैपिटलिज्म' का प्रारंभिक रूप था, जहां राजनीति और व्यवसाय एक-दूसरे को पोषित कर रहे थे।

1991 के आर्थिक उदारीकरण ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। विदेशी मुद्रा संकट, सोवियत संघ के पतन और वैश्विक दबाव के चलते पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग को लगभग समाप्त कर दिया, आयात-निर्यात को खोला और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया। इस उदारीकरण ने कॉर्पोरेट लॉबिंग को और अधिक व्यवस्थित, पेशेवर और गोपनीय बना दिया। अब लॉबिंग केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रही; यह संस्थागत रूप लेने लगी। औद्योगिक संघ जैसे **FICCI** (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), **CII** (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) और **ASSOCHAM** (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन गए। ये संगठन सरकार को पॉलिसी मेमोरेंडम सौंपते, संसदीय समितियों में गवाही देते, और आर्थिक सर्वेक्षणों तथा बजट प्रस्तावों पर प्रभाव डालते हैं।

उदारीकरण के बाद PR फर्मों, कॉर्पोरेट लॉबिस्टों और रिटायर्ड नौकरशाहों की भूमिका बढ़ गई। 2000 के दशक में **नीरा रेडिया** कांड ने इसकी झलक दिखाई, जहां एक लॉबिस्ट ने टाटा और रिलायंस जैसे बड़े समूहों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की। टेपों में दर्ज बातचीत ने खुलासा किया कि कैसे कॉर्पोरेट हित राजनीतिक फैसलों में घुसपैठ कर रहे थे। आज की स्थिति में लॉबिंग और भी सूक्ष्म हो गई है। रिटायर्ड IAS, IPS अधिकारी और राजनेता कॉर्पोरेट बोर्डों में शामिल होते हैं, जबकि PR एजेंसियां मीडिया, सोशल मीडिया और थिंक-टैंक्स के जरिए जनमत तैयार करती हैं। व्यक्तिगत संपर्क अब गोल्फ कोर्स, विदेशी सम्मेलनों और निजी डिनरों तक सीमित नहीं; वे इलेक्टोरल ट्रस्ट, राजनीतिक चंदे और नीति-वार्ताओं के रूप में संस्थागत हो चुके हैं।

इस परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि नीति-निर्माण जन-केंद्रित होने के बजाय कॉर्पोरेट-केंद्रित हो गया। पर्यावरण मंजूरियां, टैक्स छूट, भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े घरानों का प्रभाव साफ दिखता है। छोटे और मध्यम उद्यम (MSMEs) इस असमान प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाते हैं। लोकतंत्र की मूल भावना – 'जनता द्वारा, जनता के लिए' – पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल चुनावी फंडिंग के लिए बड़े कॉर्पोरेट्स पर निर्भर हो गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था (जो बाद में असंवैधानिक घोषित हुई) ने इस 'क्विड प्रो क्वो' आदान-प्रदान को और मजबूत किया। फिर भी, कॉर्पोरेट लॉबिंग को पूरी तरह नकारात्मक नहीं माना जा सकता। स्वस्थ रूप में यह विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद करती है। समस्या तब उत्पन्न होती है

जब यह अनियमित, अपारदर्शी और अनैतिक हो जाती है। भारतीय राजनीति में आज लॉबिंग का स्वरूप ठीक यही है – न तो पूरी तरह वैध, न पूरी तरह अवैध, बल्कि 'ग्रे एरिया' में। इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है, ताकि लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे और आर्थिक विकास वास्तव में समावेशी हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके न केवल व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण भी हासिल कर लिया। कंपनी ने मुगल सम्राटों, नवाबों और स्थानीय शासकों के साथ सैन्य तथा वित्तीय गठबंधनों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की, जो आधुनिक कॉर्पोरेट लॉबिंग का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। कंपनी के निदेशकों ने लंदन में ब्रिटिश संसद पर दबाव डालकर अपने व्यापारिक हितों की रक्षा की, जिससे 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया।

स्वतंत्र भारत में नेहरू युग की 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' ने बड़े घरानों (जैसे बिड़ला, टाटा, डालमिया) को नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका दी। सार्वजनिक क्षेत्र को रणनीतिक महत्व दिया गया, लेकिन निजी क्षेत्र को भी लाइसेंस और नियंत्रण के माध्यम से शामिल किया गया। इन घरानों ने पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिक नीतियों और आयात-निर्यात नियंत्रण पर अपना प्रभाव बनाए रखा। हालांकि यह प्रभाव मुख्यतः औपचारिक सलाहकार भूमिका के रूप में था, लेकिन अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंधों ने भी इसमें योगदान दिया।

1960 से 1980 के दशक तक 'लाइसेंस राज' और 'परमिट-कोटा' प्रणाली ने लॉबिंग को पूरी तरह संस्थागत रूप दे दिया। सरकारी अनुमतियों के बिना कोई भी बड़ा उद्योग शुरू करना लगभग असंभव था। इस व्यवस्था में जो उद्योगपति नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के साथ बेहतर संबंध रखते थे, वे आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे, जबकि नए उद्यमी बाहर रह जाते थे। इस काल में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती गईं और 'फोन एंड फेवर' की संस्कृति प्रचलित हो गई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में भी यह प्रणाली जारी रही, हालांकि कुछ प्रयासों (जैसे 1970 के दशक में MRTP एक्ट) से बड़े घरानों के एकाधिकार को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से सफलता सीमित रही।

1991 के आर्थिक संकट के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) नीतियों ने खेल को पूरी तरह बदल दिया। FDI नियमों को उदार बनाया गया, दूरसंचार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्र खोल दिए गए। इससे कॉर्पोरेट क्षेत्र की शक्ति बढ़ी और वे अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगे। लेकिन साथ ही लॉबिंग अधिक पेशेवर और बहुआयामी हो गई। अब केवल दिल्ली के दफ्तरों तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, थिंक-टैंक्स, मीडिया और नीति-निर्माण समितियों तक फैल गई।

2000 के दशक की शुरुआत में **नीरा रेडिया टेप्स** ने लॉबिंग की असली गहराई उजागर कर दी। एक पेशेवर लॉबिस्ट के रूप में रेडिया ने टाटा, रिलायंस और अन्य समूहों के हितों की पैरवी की। टेपों में दर्ज वार्तालापों से पता चला कि कैसे मंत्रियों की नियुक्ति, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और अन्य नीतिगत फैसलों पर कॉर्पोरेट प्रभाव पड़ रहा था। यह कांड भारतीय राजनीति और व्यवसाय के गठजोड़ का सबसे स्पष्ट प्रमाण बना। इसके बाद कई अन्य उदाहरण सामने आए, जिनमें कोयला आवंटन, पर्यावरण मंजूरियां और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।

इस पूरे विकासक्रम में लॉबिंग ने अनौपचारिक 'संबंधों की राजनीति' से लेकर संस्थागत और पेशेवर रूप ले लिया, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट नियम या पारदर्शिता का ढांचा विकसित नहीं हो सका।

उद्देश्य-

- कॉर्पोरेट लॉबिंग के ऐतिहासिक विकास और भारतीय राजनीति में इसके तंत्रों का विश्लेषण करना।
- प्रमुख केस स्टडीज के माध्यम से इसके नीति-निर्माण पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- अनियमित लॉबिंग के लोकतंत्र, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक विश्वास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- विश्व के अन्य देशों के नियामक मॉडलों की तुलना में भारत के लिए व्यावहारिक सुधार सुझाना।
- मूल सिफारिशें प्रस्तुत करना जो प्रकाशन योग्य और नीति-उन्मुख हों।

कानूनी ढांचा: एक खालीपन - भारत में कॉर्पोरेट लॉबिंग पर कोई समर्पित, व्यापक कानून दिसंबर 2021 तक भी मौजूद नहीं है। यह स्थिति लॉबिंग को एक 'ग्रे एरिया' में छोड़ देती है।

Prevention of Corruption Act, 1988 की धारा 7 मुख्य रूप से घूसखोरी को रोकती है, लेकिन वैध लॉबिंग को परिभाषित नहीं करती। 2013 में कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा पेश *The Disclosure of Lobbying Activities Bill* लैप्स हो गया। **Companies Act, 2013** में कुछ डिस्क्लोजर है, लेकिन अपर्याप्त।

इलेक्टोरल बॉन्ड्स- योजना (2018) ने राजनीतिक फंडिंग को गोपनीय बनाया, जिससे अपारदर्शिता बढ़ी। दिसंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों में इस योजना के तहत बड़े कॉर्पोरेट दान सामने आए, जिसने 'आदान-प्रदान' की आशंकाओं को मजबूत किया। परिणामस्वरूप, लॉबिंग बिना मजबूत कानूनी निगरानी के चल रही है।

लॉबिंग के तंत्र • औद्योगिक संघों (FICCI, CII, ASSOCHAM) के माध्यम से पॉलिसी मेमोरेंडम और समितियों में भागीदारी। • व्यक्तिगत संपर्क और रिटायर्ड IAS/IPS अधिकारियों का इस्तेमाल। • PR फर्म्स और विदेशी लॉबिस्ट्स (उदाहरण: Walmart का US कांग्रेस में लॉबिंग)। • चुनावी फंडिंग (इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से)।

केस स्टडीज-

1. **2G स्पेक्ट्रम घोटाला (2008)**: नीरा रेडिया (Tata/Reliance के लिए) ने A. Raja की नियुक्ति और स्पेक्ट्रम आवंटन को प्रभावित किया। CAG ने 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान आंका।
2. **कोलगेट (2012)**: बिना नीलामी के कोल ब्लॉक्स आवंटन। CAG ने 1.86 लाख करोड़ का नुकसान बताया। Jindal, Essar जैसे ग्रुप्स लाभान्वित।
3. **इलेक्टोरल बॉन्ड्स (2018-2021)**: दिसंबर 2021 तक कुल दान में BJP को प्रमुख हिस्सा मिला। यह योजना अपारदर्शी फंडिंग का प्रमुख माध्यम बनी।
4. **पॉवर सेक्टर लॉबिंग**: Association of Power Producers जैसे संगठनों ने नीति प्रभाव के लिए प्रयास किए (2018-2021 तक के उदाहरण)।

नीति-निर्माण और राजनीति पर प्रभाव लॉबिंग से नीतियां कॉर्पोरेट-केंद्रित हो जाती हैं – FDI नियम, पर्यावरण मंजूरी, टैक्स छूट आदि। इससे MSMEs को नुकसान और असमान प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। राजनीतिक दल बड़े दानदाताओं पर निर्भर हो जाते हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण अमेरिका में Lobbying Disclosure Act 1995 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फ्रांस में HATVP जैसी संस्था

कार्यरत है। भारत में ऐसा ढांचा बनाने से पारदर्शिता बढ़ेगी।

सुधार के सुझाव 'Indian Lobbying Regulation Act' प्रस्तावित:

- लॉबिस्ट और क्लाइंट्स का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन।
- तिमाही डिस्क्लोजर (संपर्क, खर्च, लाभार्थी)।
- 'कूलिंग-ऑफ' पीरियड (2 वर्ष)।
- स्वतंत्र Lobbying Oversight Commission।
- दंड प्रावधान (जुर्माना, जेल, ब्लैकलिस्टिंग)।
- नैतिक कोड और सिविल सोसाइटी की भागीदारी।

निष्कर्ष- कॉर्पोरेट लॉबिंग भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन चुकी है, लेकिन इसका अनियमित स्वरूप लोकतंत्र को खतरे में डालता है। इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। प्रस्तावित कानून से नैतिक लॉबिंग को बढ़ावा मिलेगा और जन-हित सुरक्षित रहेगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में लॉबिंग को 'जन-समर्थित' बनाना ही सच्चा सुधार होगा।

****

संदर्भ सूची:-

1. Ronak Desai, "Political Lobbying In The U.S. And India", Forbes, 31 August 2015.
2. Comptroller and Auditor General (CAG) of India, Report on 2G Spectrum and Coalgate, 2010-12.
3. Kochanek, Stanley A., "Business and Politics in India", University of California Press, 1974 (updated editions).
4. Association for Democratic Reforms (ADR), Reports on Electoral Bonds and Political Funding (2018-2021).
5. The Leaflet / The Hindu / Indian Express reports on Niira Radia Tapes and Lobbying (2010-2021).
6. Election Commission of India, Electoral Bonds Scheme Notifications (2018-2021).
7. Various academic papers from ResearchGate and JSTOR on Corporate Influence in India (pre-2022).
8.